By fax/By e-mail (1/3)

दिनांक 04.11.2013 को पूर्वाह्न 11.30 बजे समाहरणालय सभा कक्ष में छठ एवं मुहर्रम पर्व, 2013 के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु असैनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

–: कार्यवाही :–

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार आज दिनांक 04.11.2013 को **छठ एवं मुहर्रम पर्व**, 2013 के अवसर पर जिला में विधि–व्यवस्था एवं शांति–व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श हेतु प्रखंड विकास पदधिकारियों/अंचल अधिकारियों/वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दुर्गा पूजा एवं बकरीद पर्व, 2013 के अवसर पर जिलान्तर्गत विधि–व्यवस्था एवं शांति–व्यवस्था बनाये रखने में किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया। वर्त्तमान हालत को देखते हुए कहा गया कि असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह या हवावाजी कर क्षेत्र में अराजकता फैलाने का प्रयास न करे, इस संबंध में पूर्ण एहतियात बरता जाना आवश्यक है। साथ ही, आसूचना संग्रहण हेतु निदेशित किया गया ताकि समय पूर्व कारगर कार्रवाई की जा सके।

इस वर्ष दिनांक 07/08–09 नवम्बर, 2013 को **छठ पर्व एवं** 14–15 नवम्बर, 2013 को **मुहर्रम पर्व** मनाया जायेगा। अतः **छठ एवं मुहर्रम पर्व, 2013** के अवसर पर जिला में विधि–व्यवस्था/शांति–व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु विशेष सत्तर्कता बरतने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित किया गया तथा विशेष रूप से निम्नांकित आदेश/अनुदेश दिये गये :–

1. किशनगंज नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत 29 छठ घाटों की सूची उपलब्ध कराई गई। उक्त सभी छठ घाटों की साफ–सफाई कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, किशनगंज सुनिश्चित करायेंगे। इस हेतु श्री शशि शेखर, वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन एवं श्री प्रेमकांत सूर्य, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, किशनगंज को सभी छठ घाटों का समय पूर्व भ्रमण कर साफ–सफाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, प्रखंडान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकार छठ घाटों की साफ–सफाई सुनिश्चित करायेंगे।
2. सभी छठ घाटों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नदी/तालाब के गहरे स्थानों पर बांस/पीलर डालकर लाल झंडे को लगाकर निशान लगाया जाय एवं बांस/रस्सी से घेराबंदी कर दी जाय ताकि घाट पर गहरे पानी के कारण कोई दुर्घटना घटित न हो।
3. निर्मित छठ घाट सुरक्षात्मक हो तथा किसी भी अपरिहार्य स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक संसाधन के साथ घाट में प्रवेश हेतु यथेष्ठ मार्ग सुविधा/वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
4. Skilled/प्रशिक्षित गोताखोर, नाव, लाईफ जैकेट, महाजाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, किशनगंज को निदेशित किया गया। साथ ही, प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज तथा जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु भी निदेशित किया गया। **इसके अतिरिक्त छठ पर्व के अवसर पर सूर्योपासना के दौरान नावों पर क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार न हो, इस पर विशेष सत्तर्कता बरतने हेतु निदेशित किया गया।** जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज को अनुज्ञप्ति प्राप्त नावों की सूची पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज तथा जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(23)

5. प्रमुख छठ घाटों पर किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु मेडिकल टीम सहित एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति सिविल सर्जन, किशनगंज सुनिश्चित् करेंगे।

6. छठ पर्व के एक दिन पूर्व से जिलान्तर्गत छठ घाटों पर सघन गश्ती सुनिश्चित कराई जाय ताकि शरारती तत्वों द्वारा छठ घाटों पर अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। साथ ही, महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि पर भी विशेष नजर रखने हेतु निदेशित किया गया।

7. पिछले वर्ष छठ पर्व के अवसर पर पटना में हुई चचरी पुल दुर्घटना की जानकारी देते हुए सभी को विशेष सत्तर्कता बरतने हेतु निदेशित किया गया। सभी छठ घाटों पर चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति हेतु भी निदेशित किया गया।

8. छठ के अवसर पर सूर्योपसना हेतु घाट पर लोगों के चले जाने के पश्चात् रिहायशी क्षेत्रों में तथा आवास आदि में चोरी आदि की घटना को रोकने के उद्देश्य से चौकस रहते हुए सघन गश्ती सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

9. छठ एवं मुहर्रम पर्व, 2013 के अवसर पर बाहरी तत्वों द्वारा विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम दिये जाने की संभावना के आलोक में भीड़–भाड़ वाले इलाके/स्थल, विशेष कर पूजा घाट/रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड/अखाड़े/होटलों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों आदि पर विशेष सत्तर्कता बरती जाय। साथ ही, किसी भी आशंका/अंजान व्यक्ति पर निगरानी रखने तथा सत्तर्कता बरतने सहित गोपनीय आसूचना संग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया।

10. मुहर्रम पर्व, 2013 के अवसर पर शीघ्र ही शांति समिति की बैठक कर अनुपालन प्रतिवेदन अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

11. समय पूर्व निरोधात्मक एवं सत्तर्कतामूलक प्रशासनिक कार्रवाई के साथ–साथ क्षेत्र में सघन निगरानी तथा गश्ती सुनिश्चित करेंगे। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में दिनांक 14–15 नवम्बर, 2013 को स्थानीय स्तर से लगातार गश्ती कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. मुहर्रम पर्व, 2013 के अवसर पर सभी ताजिया जुलूसों के अनुज्ञप्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया, जिसे हेतु अधिनियम के अधीन आवश्यक जाँचोपरांत अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, जुलूस के मार्ग एवं रूट भी निर्धारित हो, इसे सुनिश्चित करने हेतु भी निदेशित किया गया।।

13. जबरन चंदा वसूलने वालों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

14. शहर में यातायात व्यवस्था तथा मुख्य पर्व के दौरान भारी वाहनों का प्रवेश निषेध आदि।

15. शराब बंदी का प्रभावकारी लागू आदि।

16. सभी छठ घाटों पर पर्याप्त बिजली की आपूर्त्ति कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, सुनिश्चित करेंगे। प्रखंडान्तर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, वैकल्पिक प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, किशनगंज एवं नगर पंचायत, ठाकुरगंज तथा बहादुरगंज को निदेशित किया गया।

17. मुहर्रम पर्व के अवसर पर भी ताजिया जुलूस के दौरान संबंधित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्त्ति का संबंध विच्छेद (Disconnect) के संबंध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, किशनगंज निदेशित किया गया तथा मुख्य स्थानों पर विद्युत कर्मियों/लाईन मैन की प्रतिनियुक्ति करने हेतु भी निदेशित किया गया।

18. अनुज्ञप्ति प्राप्त आग्नेयास्त्रों के सत्यापन के संबंध में कार्रवाई की जाय।

19. लाउडस्पीकर का उपयोग। खासकर आस–पास के मस्जिद एवं नमाज के दौरान।

20 हाल के दिनों में घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील एवं संबंधित क्षेत्रों में विशेष सत्तर्कता बरतने हेतु निदेशित किया गया।

अग्निशाम दस्ता की प्रतिनियुक्ति एवं गश्ती।

विमर्शोपरांत यह भी निर्णय लिया गया कि –

(i) अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा बताया गया कि 11–12 नवम्बर, 2013 को अनुमंडल/प्रखंड/अंचल व थाना में कैम्प कोर्ट कर मामलों का निस्तार किया जायेगा, तद्नुसार थानाध्यक्षों को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने तथा विधि-व्यवस्था के मद्देनजर संबंधित व्यक्तियों को कैम्प कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया।

(ii) विधि-व्यवस्था संधारण हेतु निर्गत संयुक्त आदेश में उल्लिखित संवेदनशील स्थलों के अतिरिक्त अन्य संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(iii) सिविल सर्जन, किशनगंज किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु सचेष्ट रहेंगे तथा **आपातकालीन चिकित्सा सेवा** बहाल रखेंगे एवं सभी स्वास्थ्य उप केन्द्रों/केन्द्रों को भी इस संबंध में निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) स्थापित नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों तथा कर्मियों की पालीवार प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज को निदेशित किया गया।

(v) छठ एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर शहरी क्षेत्रों के मुख्य मार्गो एवं चौक-चौराहों पर **ट्रॉफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति एवं वन वे ट्रॉफिक** के संबंध में निदेशित किया गया।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./–
(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1289 सी., किशनगंज, दिनांक 04.11.2013.

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष (महिला/एस.सी./एस.टी. थाना सहित), किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक/अपर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/उप विकास आयुक्त/निदेशक, एन.ई.पी./डी.आर.डी.ए./ अनुमंडल दंडाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ अधीक्षक, उत्पाद/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति/पी.एच.ई.डी./ जिला अग्निशाम पदाधिकारी/स्टेशन प्रबंधक, किशनगंज रेलवे स्टेशन, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी. समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई-मेल हेतु प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।